

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 3 फरवरी, 1999 (माघ 14, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. शपथ/प्रतिज्ञान

(1) जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है, वे शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

(2) संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट आंग्ल भारतीय समुदाय की श्रीमती जून चौधरी शपथ लेंगी अथवा प्रतिज्ञान करेंगी, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगी और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगी।

2. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) प्रोफेसर के.एम. चाण्डी, मध्यप्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल
- (2) श्री चन्द्रशेखर मल्लिकार्जुन मामानी, कर्नाटक विधान सभा के उपाध्यक्ष
- (3) श्री जी. जी. स्वेत, लोक सभा के पूर्व उपाध्यक्ष
- (4) श्री हरिनाथ मिश्र, बिहार विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष
- (5) श्री व्णरथ देव, त्रिपुरा के पूर्व मुख्य मंत्री
- (6) श्री ललित विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री
- (7) डॉ. रमेश अग्रवाल, एकदश विधान सभा हेतु निर्वाचित सदस्य
- (8) डा. शिवकुमार सिंह, एकदश विधान सभा हेतु निर्वाचित सदस्य
- (9) श्री तातजी पटेल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (10) श्री रामचन्द्र सर्वटे, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (11) श्री लोकेन्द्र सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (12) श्री रामधनी मिश्र, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (13) श्री वामोवर तुलसीराम पाटिल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (14) श्री सुन्दर लाल जायसवाल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (15) श्री कस्तूरचन्द चौधरी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (16) श्री कृष्णाराम पवार, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (17) मामा बालेश्वर दयाल, भूतपूर्व संसद सदस्य
- (18) श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह, भूतपूर्व संसद सदस्य
- (19) श्री बैद्यनाथ मिश्र "बाबा नागार्जुन", सुप्रसिद्ध साहित्यकार
- (20) पंडित रामचन्द्र नारायण द्विवेदी, सुप्रसिद्ध कवि
- (21) श्री बसन्तलाल सेठिया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
- (22) कैलाश मान सरोवर की यात्रा के दौरान मृत व्यक्ति
- (23) सीहोर के निकट कार व ट्रक की टक्कर में मृत व्यक्ति
- (24) धार जिले के निकट कायम नदी में घाटी बस गिरने से मृत व्यक्ति
- (25) पंजाब में खज्रा रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनों की भिड़त में मृत व्यक्ति
- (26) भोपाल के निकट ट्रक एवं मिनी बस की भिड़त में मृत व्यक्ति
- (27) केरल में पहाड़ी चट्टाने धसकने से मृत व्यक्ति.

3. प्रश्नोत्तर

व्यक्त: कितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

4. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री सत्यनारायण शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवाषिकी-आयु) तृतीय संशोधन अध्यादेश, 1998 (क्रमांक 4 सन् 1998) पटल पर रखेंगे।

5. राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदत्त विधेयकों की सूचना

6. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, ईश्वरदास रोहाणी, बाबूलाल मेवरा, सदस्य, इधोपुर जिले के दुधई पुल के पास संशस्त्र उकैतों द्वारा 8 युवकों के अपहरण की घटना की और गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री मुंशीलाल, मुजरा सिंह भवैरिया, सदस्य, खंबल संभाग के कृषकों को खंबल नहर से सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

7. राज्यपाल के अधिभाषण पर श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 1999 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा-

" राज्यपाल ने जो अधिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कुतज हैं."

भोपाल :
दिनांक : 2 फरवरी, 1999

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा